न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/196 **दायरा दिनांक : 07.11.2022**

उनवान

जगन्नाथ उम्र 78 वर्ष पुत्र श्री लल्लू, जाति मीणा, निवासी मुवाखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार

निर्णय **दिनांक : 11.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 20/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्रामएवं माल कूण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 456 खसरा नं. 879 रकबा 4 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 से वादी का वाद खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन न करके उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम कूण्डी, तहसील अटरू की खाता सं. 456 खसरा नं. 879 रकबा 4 बीघा का बाद सैटलमेंट नया खसरा नं. 1588 रकबा 0.47 हेक्टर कायम किया है जबकि पुराना रकबा 4 बीघा का साधारण गणना अनुसार रकबा 0.64 हेक्टर कायम होना चाहिए था इस प्रकार अपीलार्थी के खाते 0.17 हेक्टर रकबा कम अंकित किया है। इस कारण इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए पुराने राजस्व रेकार्ड के मुताबिक वादी के खाते दर्ज की जावे जिस पर अपीलार्थी मौके पर काबिज है। इस कारण कम हुआ रकबा 0.17 हेक्टर का नवीन खसरा नम्बर बनाकर अपीलार्थी के खाते दर्ज की जावे ताकि अपीलार्थी का रकबा पूर्ण हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी वर्तमान में भी पुराने राजस्व रेकार्ड में अंकित रकबा 4 बीघा पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का कम किया हुआ रकबा 0.17 हेक्टर का नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए अपीलार्थी की खातेदारी में अंकित फरमाये जाने का आदेश प्रदान किये जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का कम किया हुआ रकबा 0.17 हेक्टर का नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए अपीलार्थी की खातेदारी में अंकित फरमाये जाने का आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के खाते की आराजी खाता सं. 456 खसरा नं. 879 रकबा 4 बीघा का बाद सैटलमेंट नया खसरा नं. 1588 रकबा 0.47 हेक्टर कायम किया है। अपीलांट के अनुसार उक्त रकबा 0.64 हेक्टर कायम होना चाहिए था जबकि अपीलार्थी के खाते में 0.17 हेक्टर रकबा कम किया गया है।

वादी को अपने अभिवचनों को सिद्ध करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा आस–पास के खसरों का मिलान क्षेत्रफल तथा सैटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात का नक्शा भी पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पुत्रों की मौजूदगी में तैयार मौका कमिश्नर रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें अपीलांट का 0.47 हेक्टर पर ही कब्जा होना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत प्रकट होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 को यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

जगन्नाथ उम्र 78 वर्ष पुत्र श्री लल्लू, जाति मीणा, निवासी मुवाखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां (राज0)

रेस्पोर्डेंट्स

अपील नं **2022/196**
मु.द.नं0 **20/2013**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **09.06.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **12 माह 06** सन् **2024**

श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, पैरोकार सरकार श्री **संदीप सक्सैना**, नायब तहसीलदार

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)